

**तिथिबद्ध/अति आवश्यक**

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

1. निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी, हरियाणा, गुड़गांव
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी/मौलिक शिक्षा अधिकारी
3. सभी प्राचार्य, डाईट/ गैटी

यादी क्रमांक 15/11-13 एच0 आर0 एल0 (4)  
दिनांक पंचकूला। 28/11/13

**विषय: प्राध्यापकों के पद पर पदोन्नति हेतु मामले भेजने बारे।**

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के यादी क्रमांक 15/11-13 एच0 आर0 एल0 (4) दिनांक 22.02.2013 व 04.03.2013 की निरन्तरता में।

मास्टर/मिस्ट्रेसिज व सी एण्ड वी अध्यापकों की भिन्न-भिन्न विषयों में पदोन्नति हेतु निम्नलिखित अनुसार योग्यता पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के प्राध्यापकों के पद पर पदोन्नति हेतु मामले शीघ्र भेजे जाये।


क्रमांक	विषय	2 वर्ष का अनुभव पूर्ण करने की तिथि	एम.एस.सी पास करने की तिथि
1.	जीव विज्ञान	दिनांक 31.12.2013	जून/ जुलाई 2013
2.	रसायन शास्त्र	दिनांक 31.12.2013	जून/ जुलाई 2013
3.	भौतिकी	दिनांक 31.12.2013	जून/ जुलाई 2013

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि पदोन्नति हेतु योग्य मास्टरज/सी0 एण्ड वी0 अध्यापकों के मामले पूर्ण रूप में दोहरी प्रति में जांच व शिकायत सत्यनिष्ठा संदेहजनक न होने बारे प्रमाणपत्र तथा कोर्ट केस लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र व उनकी पूर्ण निजि मिसल वर्ष 2012-2013 तक की गोपनीय रिपोर्ट समरीशीट सहित भेजे जायें।

कर्मचारी सम्बन्धित विषय में एम0एस0सी0 कम से कम 50 प्रतिशत अंको सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त हो तथा फिडर काडर में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव दिनांक 31.12.2013 तक पूर्ण करता हो।

उक्त पदोन्नति मामले दिनांक 31.12.2013 तक हर अवस्था में निदेशालय में भेजे जाने सुनिश्चित करें यदि कोई मामला लम्बित रह जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी/ अधीक्षक तथा जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसे गम्भीरता से लें।

**नोट:-** पदोन्नति मामले भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पदोन्नति मामले नये नियम दिनांक 12.4.2012 में कवर होते हो। यदि किसी स्तर पर गलती पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी/ अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र होंगे।

  
उप निदेशक प्राध्यापक  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा  
हरियाणा पंचकूला